न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

पुनरीक्षण क्र.   /2012 R 143- II/13

श्री जे.पी. ... द्वारा दिनांक 9-1-13 को प्रस्तुत।
9-1-13
A.S.O

1— नाथूराम पुत्र श्री गजई कुशवाहा उम्र 70 वर्ष निवासी – ग्राम सुनरई तह0 लिधारा जिला टीकमगढ म0प्र0

2— वेटीबाई पत्नी नाथूराम कुशवाहा उम्र 65 वर्ष निवासी सुनरई तह0 लिधारा जिला टीकमगढ म0प्र0

— आवेदकगण

बनाम

1— धूराम पुत्र लछू कुशवाहा उम्र 55 वर्ष निवासी सुनरई तह. लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0

2— म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ म0प्र0

—अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 विरूद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जतारा जिला टीकमगढ म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 125/बी–121/11–12 धूराम विरूद्ध नाथूराम एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.2012 से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के तथ्य

आवेदकगण की ओर से उपरोक्त निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1) यह कि, आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता क्र 372/1 रकवा 0.405 हेक्टेयर, 372/2 रकवा 1.821 हेक्टेयर एवं खाता नं. 375/3 रकवा 0.797 हेक्टेयर तथा 372/1 (ख) रकवा 0.905 हेक्टेयर स्थित ग्राम सुनरई तह. लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0 में है । जिसका तरमीम संबंधी विवाद आवेदकगण एवं अनावेदक क्र. 1 से है ।

2) यह कि, उक्त भूमियों में खसरा क. 372/1 (क) एवं खसरा क्र. 372/2 पूर्व में आवेदक क. 1 की मॉ महिला पारो बाई बेबा गजई कुशवाहा के नाम राजस्व भू अभिलेख में अंकित रही है तथा उनके पश्चात आवेदक क. 1 के नाम आई है

(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 143—दो / 2013 जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09—12—2014	आवेदकपक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित । आवेदक पक्ष को तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थिंत नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदक अधिक्ता व आवेदकपक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । **प्रशासकीय सदस्य**	